[श्री शिव चन्द्र झा]

प्लांट बनाने का डील था, एक एग्रीमेंट था। उस को कैंसिल कर दिया गया है और युनिलेट्रली तोड़ दिया गया। लेकिन अब फिर फ्रांस ने यह आफर दिया है कि वह पूरा रिप्रोसेसिंग प्लांट बना देगा जिसमें वह ताकत पैदा की जाएगी जिससे पावर बनाई जा सकती है, लेकिन 'पीसफुल परपजेज के लिए न्यूक्लीयर वैपन्स नहीं बन सकते हैं। पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वह ऐसी शक्ति प्राप्त करना चाहता है जिससे न्यूक्लीयर वैपन्स, आणविक हथियार बन सकें। पाकिस्तान का यही रिजेक्शन अमेरिका के लिए उसको मदद करने का एक फाटक बन गया है और वह इकनोमिक एड के नाम पर आगे आ रहा है। मेरे पास 'इंडियन एक्सप्रेस' अखबार है जिसकी आज की हैड लाइन में यह लिखा है—

"USA will resume aid to Pakistan as French nuclear deal is off."

इसी तरह से 'स्टेट्समैन' में और अन्य अखबारों में भी इस प्रकार के समाचार आए हैं। स्टेट्समैन ने तो इस बारे में एडीटोरियल भी लिखा है जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा, ऐसा लगता है कि अमेरिका इकनोमिक एड के नाम पर पाकिस्तान को मदद करना चाहता है। 'इंडियन एक्सप्रेस' में यह लिखा है कि वाशिंगटन में वहां के स्टेट डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि—

"A State Department spokesman said he had no comment on Pakistan's request for military aircraft."

जहां तक पाकिस्तान को इकनोमिक एड देने का सवाल है, पिछले एक या डेढ़ साल से पी० एल० 480 के अन्तर्गत और दूसरे जरियों से अमेरिका उसकी मदद कर रहा था। अब चूंकि फ्रांस ने अपने न्यूक्लीयर डील को बन्द कर दिया, इसलिए अमेरिका इकनोमिक एड के नाम पर आगे आ रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान को केवल इकनोमिक एड ही नहीं दी जाएगी, बल्कि इकनोमिक एड के जरिए अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देगा और खतरनाक हथियार देगा। ताकि हिन्दुस्तान के मकाबले में पाकिस्तान मजबूत हो। विदेश मंत्री यहां पर इस समय नहीं हैं अगर होते तो अच्छा होता। यह सोचना कि इकनोमिक एड में अमरीका पाकिस्तान को पोष्टिक भोजन देगा, ऐसी बात नहीं है। इकनोमिक एड के लेबल के बक्स में अमरीका हथियार भेजता है। इतना ही नहीं, दवाइयों के बक्सों में या दूसरे रास्तों द्वारा अमरीका पाकिस्तान को हथियार देता है। इसके बहुत से उदाहरण हैं। मैं सिर्फ एक ही उदाहरण देना चाहता हूं जिसको आप *जानते हैं*, सारा सदन जानता है। यह एक ऐतिहासिक उदाहरण है। दियेन बियेन फू की जब लड़ाई थी तो रेडक्रास का एक प्लेन घायलों की मदद के लिए जा रहा था जो कि ऊपर से दिखावा था लेकिन उसमें अमरीकी हथियार जा रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भान हुआ कि रेड-क्रास में यह आर्म्ज रहे है तो उन्होंने इसको रोका और प्लेन श्रीलंका हो कर दियेन बियेन फू गया, जिसके लिए सिनेटर नीलैंड ने हल्ला किया कि जब किसी देश में आग लगी हो तो मैं पानी उतारने के लिए वहां जाऊं तो भारत का प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू पानी भी नहीं पहुंचाने देता। मैं उस वक्त विद्यार्थी था। जैसे रेड-क्रास ऐड में अमरीका हथियार भेजता है उसी तरह इकोनोमिक ऐड के मातहत जो पाकिस्तान का प्रशासन मांग रहा है, वह ऐसे करेगा। अमरीका ने कहा है धमकाओ नहीं अगर रिप्रोसेसिंग प्लांट नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कन्वेंशनल वैपन्स देने के लिए तैयार हूं और पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है, इस विषय में मैं आपको 'स्टेट्समैन' अखबार में से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"This lends credence to the recent reports that the Zia-ul-Haq Administration decided to strengthen its case for more supplies of conventional arms from the USA, especially of A-7 strike aircraft by abandoning the re-processing plant."

जिआयुल हक ने कहा है अगर प्लांट नहीं बना तो कोई बात नहीं, अमरीका से कन्वेंशनल वैपन्स की बात तो है, अमरीका से हथियार तो आएंगे। अगर रिप्रोसेसिंग प्लांट बनता तो उस में बहुत समय लगता, बहुत खर्च भी होता, इसलिए यह नहीं दिया तो न सही। अमरीका इकनोमिक ऐड के नाम पर हथियार दे रहा है। मैं यह चाहता हूं कि आप इसकी जड़ में जाएं कि यह सारी बातें शुरू कहां से होनी हैं। 1974 में पोकरण में एक्सप्लोजन किया गया। हिन्दुस्तान शान्ति के लिए करता है, यह बात निर्विवाद है। लेकिन यहां जो एक्सप्लोजन हुआ उसकी धड़कन वाशिंगटन डी०सी० में गई कि भारत भी अब आगे आ रहा है और तब से साजिश हो रही है। सात न्यूक्लियर पावर्स इकट्ठा हुई जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, युनाइटेड स्टेट्स, कनाडा आदि आते हैं, यह सब एकत्रित हुए कि इस पर पाबन्दी लगाई जाए और जो हम से लोहा लेगा उसको रोक लेंगे। अब यह 15 राष्ट्र हो गए हैं। नान-प्रोलिफेरेशन की बात अमरीका बढ़ा ले, ऐसी बात नहीं है। जो कैंसिलेशन फ्रांस का हुआ है उसकी जगह पर अमरीका इस उप-महाद्वीप में अपना पंजा फैला रहा है और पाकिस्तान की मदद कर रहा है, ताकि हिन्दुस्तान में बढ़ती हुई प्रगति न होने पाए। इस लिए सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

REFERENCE TO ARRANGEMENTS FOR INTERPRETATION OF SPEECHES MADE IN TELUGU INTO OTHER LANGUAGES

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: (Andhra Pradesn) : Sir, I want to

draw your attention to one important thing. I addressed a letter to you, Sir, through the Secretary-General stating that arrangements may be made for interpretation of the speeches made in Telugu into other languages. Sir, so far I have not received any reply.

MR. CHAIRMAN : We are making the arrangements.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY : Sir, when I came to attend this august House and wanted to take my oath, I was asked in which language I would like to take my oath. I said I would like to take my oath in Telugu. Then I was given a piece of paper on which the oath was written, not then, but some years back it seems. It was not properly legible. It was not printed. So far as the oaths in other languages are concerned, they are printed but the oath in the Telugu language is not printed. It was in a dilapidated condition. I could not properly read that oath also. The next day I wanted to make my speech in the Telugu language but the Chair directed me to give my speech in writing. I would like to draw the attention of the Chair to the fact that whenever I want to speak, I would like to speak in any language which I like. I would like to speak in Hindi, I would like to speak in Bengali, I would like to speak in Tamil, I would like to speak in Malayalam. I would like to speak in other languages of India. I would like to speak in Gujarati also. So, arrangements must be made for the interpretation of these languages in other languages also.

MR. CHAIRMAN : That is all right. You have made your point.

श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी : मेरे कहने का मतलब यह था कि मैं चाहता था कि 30 साल से 25 साल से जो सदन यहां है तो मैं यह नहीं जानता था कि तेलुगू जो हिन्दी के बाद सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली जुबान है, इस जुबान मे कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया गया, ताकि उस जुबान को जानने वाले या बोलने वाले अपने विचारों को, अपने भावों को इस सदन में, इस देश में पहुंचायें । जहां तक जो विजिटर्स आते है उनका सवाल है, वे हमसे पूछते है कि यह हाउस, यह सदन इंग्लैंड की पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है या इंडियन पार्लियामेंट है । मेरी समझ में नहीं आता है, मैं जब से इस सदन में बैठा हूं, यह सुनता आया हूं कि अंग्रेजी वाले या हिन्दी जानने वाले भी अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते है । वह लोग, वह माननीय सदस्य, जो अंग्रेजी नहीं जानते है, हिन्दी अच्छी तरह स जानते है वे भी अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते है । यह मेरी समझ में नहीं आया है । इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी जो एक दरख्वास्त है, जो मैंने एप्लीकेशन दी है, उसके बारे में आप कब और किस वक्त उसका इंतजाम करने वाले हैं, इसके बारे में आप कहें ।

MR. CHAIRMAN : That is all right. You have made your point.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : सभापति महोदय, एक छोटी सी बात है । सेक्रेटेरियेट का जो काम है... (*Interruptions*).

THE DELHI POLICE BILL, 1978

MR. CHAIRMAN : The Statutory Resolution by Mr. Bhupesh Gupta.

SHRI YOGENDRA SHARMA (Bihar) : Sir, Mr. Bhupesh Gupta has asked me to convey to you his sincere regrets for being absent today because he had made a programme thinking that there will not be a sitting of the House on Saturday.

MR CHAIRMAN : Yes, Mr. Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI S. D PATIL) : Sir, I beg to move :

"That the Bill to amend and consolidate the law relating to the regulation of the police in the Union territory of Delhi, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHYAM LAL YADAV) in the Chair].

Sir, the Delhi Police Commission, also known as the Khosla Commission, in its Report submitted in 1978, recommended the introduction of the Commissioner of Police system in Delhi

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO (Orissa) : Sir, this voluminous statement can be laid on the Table

SHRI S D. PATIL: Though the above recommendation remained under the consideration of the Government, it was in November, 1976 that a decision was taken by the previous Government not to accept the recommendation After the present Government took over, the matter was reconsidered in the light of the complexities of the task of police and the new challenges faced by them with the progressive urbanisation of the Union territory of Delhi and the rapid growth of population. It was felt that the duality inherent in the present police-magistracy system inhibits the police in quickly res-